न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व प्रथम अपील संख्या 915/2025

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
1. तेजाराम पुत्र लाधाराम 2. अशोक कुमार पुत्र मकोमल 3. मिसरादेवी पत्नि अर्जुनराम 4. कुमारी लीला पुत्री सारंगराम 5. रेखादेवी पत्नि महादेव 6. कमलादेवी पत्नि टीकमराम, स्कूल प्रबंधक समिति सदस्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मीये का तला, तहसील धनाउ जिला बाडमेर 7. नारायणराम पुत्र रायमलराम, शारीरिक शिक्षक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मीये का तला, तहसील धनाउ जिला बाडमेर		1. उपखण्ड अधिकारी, चौहटन जिला बाडमेर। 2. तहसीलदार, धनाउ, जिला बाडमेर। 3. जिला कलेक्टर, बाडमेर। 4. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मीये का तला, तहसील धनाउ जिला बाडमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलेक्टर, बाडमेर के आदेश कमांक प.12(3)(20) राज/2020/5362 दिनांक 28.07.2021 को पारित किया गया।

उपस्थिति

1. श्री जी0 आर0 गोरा, श्री सारंगराम मेघवाल, अधिवक्ता, अपीलाण्टस् की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की ओर से।
3. रेस्पो0 संख्या 4 बावजूद नोटिस तामीली के अनुपस्थित है।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः 28 अक्टूबर, 2025

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मीये का तला, तहसील धनाउ जिला बाडमेर को ख0सं0 246/76 रकबा 127.16 बीघा गैर मुमकिन गोचर में से 05.00 बीघा भूमि आवंटन आदेश दिनांक

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

27.12.2021 द्वारा आवंटित की गई थी। उक्त आवंटित भूमि की तरमीम एवं मौके पर भिन्नता होने के कारण भूमि की तरमीम संधोधित कर प्रस्तावित नक्शा के अनुसार किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी, चौहटन के द्वारा अभिशंषा किये जाने पर जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा दिनांक 09.01.2025 को आदेश पारित करते हुए प्रस्तावित संशोधित तरमीम के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त तरमीम दुरूस्ती के आदेश दिनांक 9.1.2025 से व्यथित होकर अपीलान्टस् द्वारा यह अपील दिनांक 14.05.2025 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने अपील पेश करने हेतु धारा 96 सीपीसी के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 20.05.2025 पेश करते हुए कथन किया कि अपीलान्टगण उक्त विद्यालय में स्कूल प्रबन्धन समिति के सदस्य है जिस कारण से वे अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है। ऐसे में उक्त अपील पेश करने हेतु अनुमति प्रदान की जावें। साथ ही अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.05.2025 में यह कथन किया है कि अपीलान्टगण को 15 दिन पूर्व उक्त प्रश्नगत भूमि के मौके से बेदखल करने की धमकियां दी गई तथा मौके पर कब्जा करने के उद्धेश्य से मौके पर बांस के डण्डे बांधे गये तब अपीलान्ट्स ने दिनांक 7.4.2025 को रिकार्ड की जॉच करवाई और नकले मांगी गई जो तैयार होकर दिनांक 16.4.2025 को प्राप्त हुई, तब अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.1.2025 की सर्वप्रथम जानकारी हुई। उक्त तिथी से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावें। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलान्ट्स की ओर से पेश दोनों प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया। अपीलान्ट्स के द्वारा प्रस्तुत अपील पेश करने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र एवं मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों तथा दिनांक 17.9.2025 को लिखित बहस पेश करते हुये उसमें अंकित तथ्यों को दौहराते हुये यह कथन किया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मीयें का तला को 05 बीघा भूमि खेल

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

मैदान हेतु आवंटित की हुई है, जिस पर किसी भी तरह की की जा रही वैधानिक कार्यवाही व अतिक्रमण को रूकवाने एवं हटवाने का पूर्ण अधिकार व दायित्व बनता है। उक्त भूमि का विद्यालय को आवंटन होने के उपरान्त नये ख0सं0 300/246 दर्ज किये गये तथा मूल ख0सं0 246 जो कि गैर मुमकीन गोचर था, के स्थान पर अन्य जगह गोचर दर्ज की गई तथा नेखमबन्दी कर पक्के पत्थर लगाये हुए है जो दिनांक 10.9.2022 की मौका फर्द के अनुसार लगे हुए है। दिनांक 3.7.2024 व 30.7.2024 को अतिक्रमियों ने ही तहसीलदार, धनाउ व उपखण्ड अधिकारी, चौहटन को रिपोर्ट पेश कर उक्त खेल मैदान की भूमि का सीमांकन करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो कि काल्पनिक एवं सारहीन था। उक्त प्रार्थना पत्र पहले के विधिवत आवंटन को अनदेखा कर दिनांक 30.8.2024 को नक्शे में संशोधन करने का विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया। आवंटित भूमि पर दिनांक 19.9.2022 को पुलिस जाप्ता के सहयोग से अतिक्रमण हटाया गया तथा खेल मैदान का कब्जा विद्यालय को सुपुर्द किया गया तत्पश्चात उक्त भूमि को खेलों हेतु तैयार किया जाकर उपयोग व उपभोग में लिया जा रहा है। ग्राम के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा खेल मैदान की भूमि पर कब्जा करने की नियत से पत्थर इत्यादि डाल दिये गये, जिसकी शिकायत अधिकारियों से की गई लेकिन पटवारी हल्का से मिलावट कर अतिक्रमण की रिपोर्ट तैयार करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी से आदेश पारित करवा लिया गया।

4. अपीलाण्टस् के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि जिला कलेक्टर के द्वारा पारित किये गये आवंटन आदेश में खेल मैदान हेतु स्थान निर्धारित किया गया था तथा उसी स्थान पर तरमीम की जाकर अतिक्रमण कार्यो को हटाकर मौके पर कब्जा स्कूल को दे दिया गया था जिस पर ग्रामवासियों द्वारा सफाई करवाकर खेल हेतु व्यवस्थाएं करवाई गई थी। उक्त आवंटित भूमि विद्यालय के नजदीक है तथा विधार्थियों को सभी खेल सुविधाएं एक ही साथ उपलब्ध होती है। इसलिये तरमीम व सीमांकन किया गया परन्तु अतिक्रमियो को शह देने की नियत से नया संशोधित आदेश जारी करवाया गया है जो मात्र आंशिक संशोधन कर नई रिपोर्ट तैयार करने हेतु करवाया गया है जो पूर्व से ही शून्य करार होने से अपास्त व निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त आवंटित भूमि पर यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमण हटाया जाना चाहिये था, न कि स्थान को बदलना आवश्यक है क्योंकि उक्त भूमि गोचर भूमि राजकीय भूमि है, उस पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। उपखण्ड

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अधिकारी को अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं था। उक्त भूमि पर विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक के द्वारा अपने रिश्तेदारों को मौके पर अतिक्रमण करवाया जा रहा है तथा मिलावट करते हुए खेल मैदान की जगह बदलने की नीयत से उक्त कार्यवाही करवाई जा रही है।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि दिनांक 23.9.2024 को नक्शा परिशिष्ट 'ब' खेल मैदान हेतु प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती का नक्शा बनाया गया, जिस पर तहसीलदार धनाउ के हस्ताक्षर में मोहर ही नहीं है। हल्का पटवारी पुराराम ने बंद कमरे में नक्शे में तरमीम कर दुबारा तरमीम कर दी जिस पर भू0अ0निरीक्षक, पटवारी, अतिक्रमियों के हस्ताक्षर करवाकर जिला कलेक्टर बाडमेर के समक्ष पेश किया गया, जबकि उक्त परिशिष्ठ उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश करना था। जिला कलेक्टर, बाडमेर ने दिनांक 9.1.2025 को संशोधित आदेश जारी कर पूर्व के आवंटन आदेश में आंशिक संशोधन व विधिक त्रुटि के आधार पर आदेश जारी कर दिया जो कि विधि विरूद्व आदेश है। इसके अतिरिक्त उक्त आवंटित भूमि का कब्जा दिये जाने के समय यानि दिनांक 10.10.2021 को उक्त भूमि पर कब्जा नहीं था और न ही किसी प्रकार का निर्माण था। दिनांक 12.7.2024 को अतिक्रमियों ने अतिक्रमण करने के उद्धेश्य से स्कूल के खेल मैदान में एक पुराना झोपा रख दिया व बबूल की झाड़िया उठाकर रख दी तथा पत्थर–बजरी डाल दी और मंदिर दर्शाकर जमीन को हड़पने की नियत से अतिक्रमण कर लिया तथा नरेगा सरकारी योजना के अन्तर्गत एक टांका भी बना दिया। मौके पर वर्ष 2023 में राजीव गॉधी खेल–कूद प्रतियोगिता भी सम्पादित हुई थी, उस समय तक भी कोई अतिक्रमण नहीं था, जो प्रस्तुत फोटोग्राफ से स्पष्ट हो जाता है।

6. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि तरमीम शुद्धि के अधिकार जिला कलेक्टर को नहीं होकर उपखण्ड अधिकारी को प्रदान किये हुए है। ऐसे में जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत भूमि की दुबारा तरमीम कार्यवाही में विद्यालय स्टाफ की ग्रामजनों, विद्यालय समिति को या किसी सदस्य को बिना पक्षकार बनाये/सूचना दिये केवल मात्र अतिक्रमियों से मिलावट से सांठ–गांठ कर भूमि संदाय करने की गलत नीति से, बाले–बाले ही दिनांक 9.1.2025 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। उक्त तरमीम

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

बदलवाने हेतु मौका देखा जाने हेतु एवं मौका रिपोर्ट हेतु उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पटवारी हल्का को कोई आदेश नहीं दिया गया था, पटवारी के द्वारा केवल मौतबिरान व्यक्तियों की साक्षी में, बिना पैमाइश किये बंद कमरे में मौका रिपोर्ट तैयार कर दी गई जो सीधे ही जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा मान ली गई। ऐसे में सम्पूर्ण कार्यवाही में विधि प्रक्रिया की कुछ भी पालना नहीं की गई है। अपीलान्टगण उक्त विद्यालय सरंक्षण समिति के सदस्य एवं ग्रामीण तथा इनके परिवार के विद्यार्थी होने से यह अपील प्रस्तुत करने के लोकस अधिकार रखते है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील को स्वीकार किया जावे तथा जिला कलेक्टर बाड़मेर के द्वारा तरमीम संशोधन बाबत पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2025 को खारिज किया जावे तथा अतिकमियों द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाये जाने व अतिकमियों व लोकसेवको के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

7. प्रत्युतर में रेस्पोडेण्ट्स की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मीये का तला, तहसील धनाउ जिला बाडमेर को ख0सं0 246/76 रकबा 127.16 बीघा गैर मुमकीन गोचर में से 05.00 बीघा भूमि आवंटन आदेश दिनांक 27.12.2021 को आवंटित की गई थी। उपखण्ड अधिकारी, चौहटन के द्वारा अपने पत्रांक 750 दिनांक 23.10.2024 के द्वारा उक्त आवंटित भूमि की तरमीम एवं मौके पर भिन्नता के कारण भूमि की संशोधित तरमीम संशोधित कर प्रस्तावित नक्शा के अनुसार किये जाने की अनुशंषा किये जाने पर जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा दिनांक 09.01.2025 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रस्तावित संशोधित तरमीम के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की स्वीकृति प्रदान की गई है।

8. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया कि अपील प्रस्तुत होने पर तहसीलदार धनाउ द्वारा अपने पत्रांक 329 दिनांक 6.7.2025 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई है जिसमें मौका जॉच उपरान्त उक्त प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में एक टांका, दो मन्दिर, एक ढाणी/झोपडा बना हुआ होने व दो पक्के आवासों का आंशिक हिस्सा आ रहा है इसी प्रकार पत्रांक 330 दिनांक 6.7.2025 के द्वारा बिन्दूवार प्रेषित रिपोर्ट में भी पूर्व की रिपोर्ट के तथ्यों को दोहराते हुए राउप्रावि मिये का तला खेल मैदान हेतु दर्ज भूमि पर वर्तमान में किसी के द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है जो निर्माण है, वह कई वर्षो पुराना

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

है। साथ ही उक्त आवंटित भूमि के अनुसार ख0सं0 300/246 रकबा 05.00 बीघा भूमि का नामान्तकरण भी उक्त विद्यालय के नाम से दर्ज हो गया है। जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा उक्त आवंटन आदेश के पश्चात संशोधित आदेश दिनांक 9.1.2025 के द्वारा आवंटित भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, चौहटन की रिपोर्ट दिनांक 23.10.2024 के द्वारा आवंटित भूमि की तरमीम व मौके पर भिन्नता के कारण तरमीम संशोधन की अभिशंषा की गई। उक्त तरमीमशुदा ख0सं0 300/246 रकबा 5.00 बीघा भूमि पर पाक विस्थापित परिवार के पुराने आवास, टांके आदि पाये जाने तथा आवंटन के वक्त उक्त भूमि मौके पर खाली नहीं होकर अधिवासित थी तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा ग्रामवासियों की उपस्थिति में किये गये सीमाज्ञान के आधार पर कमेटी द्वारा आवंटित भूमि की तरमीम दुरूस्ती के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए प्रस्तावित संशोधित तरमीम के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अपीलान्टस् की अपील आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया है कि जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मीये का तला, तहसील धनाउ जिला बाडमेर को ख0सं0 246/76 रकबा 127.16 बीघा गैर मुमकीन गोचर में से 05.00 बीघा भूमि आवंटन आदेश दिनांक 27.12.2021 को आवंटित की गई थी। उक्त आवंटित भूमि पर अतिक्रमण हटाने हेतु राजस्व कर्मचारियों के द्वारा दिनांक 10.9.2022 को पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर से अतिक्रमण हटाते हुए आवंटित भूमि का कब्जा दिनांक 19.09.2022 को स्कूल प्रशासन को सुपुर्द किया गया था। तत्समय में भूमि आवंटन हेतु ग्रामवासीगण, मीये का तला, सरपंच, ग्राम पंचायत एकलिया धोरा, पीईईओ एवं प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीजासंर, मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी, धनाउ के द्वारा उक्त खसरे में मांग किये जाने पर पटवारी हल्का, सरूपे का तला तथा तहसीलदार धनाउ के द्वारा प्रस्ताव तैयार किये जाकर उपखण्ड अधिकारी, चौहटन को भिजवाये गये तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, चौहटन के द्वारा अपनी अनुशंषा के साथ जिला कलेक्टर, बाडमेर कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव प्रेषित किये जाने में उक्त

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रश्नगत भूमि जहॉ आवंटन की जानी थी, पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना दर्शाया गया है।

10. जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा उक्त आवंटन आदेश के पश्चात संशोधित आदेश दिनांक 9.1.2025 के द्वारा आवंटित भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, चौहटन की रिपोर्ट दिनांक 23.10.2024 के द्वारा आवंटित भूमि की तरमीम व मौके पर भिन्नता के कारण तरमीम संशोधन की अभिशंषा की गई। उक्त तरमीमशुदा ख0सं0 300/246 रकबा 5.00 बीघा भूमि पर पाक विस्थापित परिवार के पुराने आवास, टांके आदि पाये जाने तथा आवंटन के वक्त उक्त भूमि मौके पर खाली नहीं होकर अधिवासित थी तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा ग्रामवासियों की उपस्थिति में किये गये सीमाज्ञान के आधार पर कमेटी द्वारा आवंटित भूमि की तरमीम दुरूस्ती के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए प्रस्तावित संशोधित तरमीम के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की स्वीकृति के आदेश दिनांक 9.1.2025 को पारित किये गये है।

11. इस सम्बन्ध में न्यायालय हाजा के समक्ष तहसीलदार, धनाउ के द्वारा अपने पत्रांक 329 दिनांक 6.7.2025 तथा पत्रांक 330 दिनांक 6.7.2025 में विद्यालय के खेल मैदान के नाम दर्ज भूमि पर वर्तमान में एक टांका, दो मंदिर, एक ढाणी/झोपडा बना हुआ होने व दो पक्के आवासों का हिस्सा होना बताया, उक्त निर्माण कई वर्षो पुराना बताया तथा शेष भूमि का उपयोग बच्चो के द्वारा खेल मैदान के रूप में करना बताया और वर्तमान में किसी के द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जाना, उल्लेखित किया है। जिला कलेक्टर, बाडमेर के अपीलाधीन संशोधन आदेश दिनांक 9.1.2025 के अनुसार ख0सं0 300/246 की पूर्व में राजस्व नक्शे में की गई तरमीम के स्थान को बदल कर पडौस में अन्यत्र स्थान पर किये जाने के आदेश जारी किये गये है। उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकीन गोचर है जिसमें से ही खेल मैदान हेतु भूमि का आवंटन किया गया है। ऐसे में उक्त भूमि पर किसी प्रकार से निर्माण/आवास निर्मित हो रखे है या पाक विस्थापित परिवार का निवास है तो उन्हें अतिक्रमी माना जाकर नियमानुसार अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिये थी न कि खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि की तरमीम शुद्धि के प्रस्ताव के अनुसार भूमि का स्थान परिवर्तन किया जाना चाहिये था। इन सभी आधारों पर जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.1.2025 को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

12. ऐसे में हमारे विनम्र मत में उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्टस् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.1.2025 को निरस्त करते हुए प्रकरण में उपरोक्त आब्जर्वेशन्स को मध्यनजर रखते हुए तथा इस विषय में एक संयुक्त टीम गठित की जाकर विद्यालय प्रबन्धन समिति, ग्रामवासियों की उपस्थिति में मौके की जॉच करवाये जाने के उपरान्त पुनः नये सिरे से यथोचित निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण जिला कलेक्टर, बाडमेर को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

13. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्टस् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.1.2025 को निरस्त करते हुए प्रकरण जिला कलेक्टर,बाडमेर को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त आब्जर्वेशन्स को मध्यनजर रखते हुए तथा राजस्व अधिकारियों की एक संयुक्त टीम गठित की जाकर विद्यालय प्रबन्धन समिति, ग्रामवासियों की उपस्थिति में मौके की जॉच करवाये जाने के उपरान्त पुनः नये सिरे से यथोचित निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर